

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397
 पत्रांक - 1073 / 12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 16/11/2016.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
 भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी
 देहरादून।

विषय :- बयेला नाड मोटर मार्ग प्रस्ताव सं0 9364 / 2015।

संदर्भ :- आपकी आपत्ति दिनांक 15.09.2016।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग से सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की आपत्ति दिनांक 15.09.2016 सूचित ऑन लाइन आपत्तियों का निराकरण करने हेतु इस कार्यालय से दिनांक 21.10.2016 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 2521/12-1 दिनांक 14.11.2016 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है—

1	The DSS analysis the area calculated as 6.39ha instead of 8.828ha area proposed for CA in phaldwari civil. The state govt may revise the KML on exact to the scale for area 8.828ha and upload the same in online part-I	The correct analysis the area calculated as 8.828ha perposed for CA in Phaldwari. The KML file uploaded in online part I pera C
2	The area marked for muck dumping in private land the details amay also provide in the component wise break in online part I	The area marked for muck dumping in pravate land.the component wise breakup in online part I pera 2.4
3	The digital map of area proposed for CA is provided with three coordinates while the shape of the area requires coordinates of few more corners. The state govt may provide few more coordinates in the map and upload the revised may in this place in online part I	The revised digital map of area propsed for CA is 14 corner coordinates is attached in online part I pera C
4	NPV calculation as per information provided in hard copy is done for taking density 0.5while in view of trees proposed to be felled the density seems incorrect.The state govt. May review the density and upload the correct density and NPV.Calculation in online web portal.	NPV का सही अंगठण संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
5	There are 4 number of villages are reported to be benifited by the construction of the road .while the road is shown to pass only throw on villages as per detail furnished in village wise breakup in part I.the state govt may clarify the same and if boundary of there villages is coming in the alignment of the proposed road,the detail may be furnished in village wise breakup in partl accordingly and if required the village level committe proceeding for all villages may also furnished FRA.	The village wise breakup is correct in online part I pera 2.3

	The village level committee proceeding provided with the FRA certificate is for village Phaldwari which is also mentioned in the certificate of FRA provided by the DC but the attendance sheet produced with the VLC is signed by Gram pradhan of village Phaldwari and Bayela. The necessary correction required is this regard.	The village level committee in show FRA for Phaldwari village but VLC is signed by Gram pradhan Phaldwari and Baleya because the main revinev village effected to Phaldwari.
7	The hard copy produced by the State Govt. in this office is of another case Kotilagwad motor road of area 3.85ha. The state Govt may provided hard copy of the concerned proposal.	The hard copy produced by the state Govt. in this office is of another case Kotilagwad motor road of area 3.85 ha. The state Govt. may provided hard copy of the concerned proposal.

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्ति उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फैक्स: 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 2521 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 10-11-2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय ब्येला नाड़ मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में।(प्रस्ताव सं 9364/2015)

सन्दर्भ आनलाइन आपत्ति दिनांक 18.10.2016

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि आप द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में ऑनलाइन द्वारा आपत्तियों में लौटाया गया था। जिसकी आख्या बिन्दुवार निम्नवत है।

1	The DSS analysis the area calculated as 6.39ha instead of 8.828ha area proposed for CA in phaldwari civil. The state govt may revise the KML on exact to the scale for area 8.828ha and upload the same in online part-I	The correct analysis the area calculated as 8.828ha perposed for CA in Phaldwari. The KML file uploaded in online part I pera C
2	The area marked for muck dumping in private land the details amay also provide in the component wise break in online part I	The area marked for muck dumping in provate land.the component wise breakup in online part I pera 2.4
3	The digital map of area proposed for CA is provided with three coordinates while the shape of the area requires coordinates of few more corners. The state govt may provide few more coordinates in the map and upload the revised may in this place in online part I	The revised digital map of area propsed for CA is 14 corner coordinates is attached in online part I pera C
4	NPV calculation as per information provided in hard copy is done for taking density 0.5while in view of trees proposed to be felled the density seems incorrect.The state govt. May review the density and upload the correct density and NPV.Calculation in online web portal.	NPV का सही आंगणन संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
5	There are 4 number of villages are reported to be benifited by the construction of the road .while the road is shown to pass only throw on villages as per detail furnished in village wise breakup in part I.the state govt may clarify the same and if boundary of there villages is coming in the alignment of the proposed road,the detail may be furnished in village wise breakup in partI accordingly and if required the village level committe proceeding for all villages may also furnished FRA.	The village wise breakup is correct in online part I pera 2.3

	The village level committee proceeding provided with the FRA certificate is for village Phaldwari which is also mentioned in the certificate of FRA provided by the DC but the attendance sheet produced with the VLC is signed by Gram pradhan of village Phaldwari and Bayela. The necessary correction required is this regard.	The village level committee in show FRA for Phaldwari village but VLC is signed by Gram pradhan Phaldwari and Bayela because the main revinev village effected to Phaldwari.
7	The hard copy produced by the State Govt. in this office is of another case Kotilagwad motor road of area 3.85ha. The state Govt may provided hard copy of the concerned proposal.	The hard copy produced by the state Govt. in this office is of another case Kotilagwad motor road of area 3.85 ha. The state Govt. may provided hard copy of the concerned proposal.

२५८१ - N.P.V आगांन प्रमाण पत्र

भवदीय,

 प्रभागीय चनाधिकारी,
 अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

परियोजना का नाम :- बैयण - नाइ कॉट्टमार्फ नियंत्रण (प्रस्ताव सं ०९३६४)
दिनांक २०१५

एन०पी०वी० की धनराशि का आकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन मंत्रालय के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदन वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-


- 1- ईको-वलास श्रेणी V
- 2- हरियाली का घनत्व 4
- 3- एन०पी०वी० की दर प्रति है 0 8.95 रु०००/-
- 4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल है 0 9.417
- 5- कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि रु० 3732365/- (रु० सौ तीशत्तर छाँटी छाँट रु० तीन सौ चौसठ रु०)

प्रभागीय विभागिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

DIGITAL MAP OF BAILA NAR MOTOR ROAD (7 Km) DISTRICT - ALMORA



0 0.5 1 1.5 Km



Legend

- PROPOSE_ROAD
- ALTERNATE ALIGNEMENT
- Forest Block Boundary
- Forest Compartment Boundary

उपजिलाधिकारी

द्वाराहाट

वन क्षेत्राधिकारी
द्वाराहाट वन क्षेत्र,
बहुमोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रभागीय वन संसाधन अधिकारी
द्वारा बनाया गया

प्रभागीय वन संसाधन अधिकारी
द्वारा बनाया गया

लिखित द्वारा बनाया गया
विभिन्न वृक्ष, लोकनि विशेष

तहसील द्वारा बनाया गया

परियोजना का नाम :-

लोपला नाई मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- लोपला

तहसील :- डावड़ी

जिला अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड लोपला नाई

मोटर मार्ग के निर्माण (६.....०० किमी) परियोजना हेतु आरक्षित वन भूमि २.४९८ है, सिविल सोयम भूमि ०.४१२ है तथा वन पंचायत भूमि १.५०७ है अर्थात् कुल वन भूमि ४.४१७ है वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक २१.१२.११५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम फलद्वारा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि�०विभाग, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

पालेश रेठामी
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
नाम पंचायत लिप्युप
विधायक लिप्युप
जिला अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत फलद्वारा
विधायक द्वारा लिप्युप (अल्मोड़ा)

प्रपत्र-23.1

दिनांक २१.१२.१५ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रम सं०

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ
ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर

१.	श्री वन्देश्वर प्रभु	विजय श्री वंचायत सभाय	विजय श्री वंचायत
२.	प्रकाशराम सज्जन	ज्ञान पंचायत वार्ड	प्रकाशराम
३.	विजय राम		विजय राम
४.	प्रेम राम		प्रेम राम
५.	दिनेशराम		दिनेशराम
६.	आदावी देवी		माधवी देवी
७.	पृष्ठ राम		पृष्ठ राम
८.	लोकेश दास		लोकेश दास
९.	प्रियंका दास		प्रियंका दास
१०.	प्रदीप दास		प्रदीप दास
११.	दिलीप दास		दिलीप दास
१२.	दीपाली दास		दीपाली दास
१३.	लोकेश दास		लोकेश दास
१४.	दीपीश दास		दीपीश दास
१५.	लक्ष्मी दास		लक्ष्मी दास
१६.	ललित कोइ		ललित कोइ
१७.	केशव दास		केशव दास
१८.	वालोराम		वालोराम
१९.	उमेश दास		उमेश दास
२०.	लोकेश दास		लोकेश दास
२१.	पदीराम		पदीराम
२२.	रघुलोहराम		रघुलोहराम
२३.	दीपेश राम		दीपेश राम
२४.	जोगा राम		जोगा राम
२५.	दीपेश राम		दीपेश राम
२६.	लक्ष्मीराम		लक्ष्मीराम
२७.	लक्ष्मीराम		लक्ष्मीराम

ग्राम प्रधान
विधिवत् पत्र
प्रधान
ग्राम पंचायत फल्दाडी
निलम्ब द्वारा (अल्मोड़ा)

प्रधान
ग्राम पंचायत फल्दाडी
निलम्ब द्वारा (अल्मोड़ा)

प्रधान
ग्राम पंचायत वयेला
पो० ओ० चंथरिया
क्षेत्र पंचायत द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम :-

बोला नाई, मोटर राहि का नई निवास

कार्यालय उपजिलाधिकारी, डारादा।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड डारादा परिक्षेत्र के अन्तर्गत (आंतरिक वन भूमि १५७८ है) सिविल सोयम भूमि ३४१२ है तथा वन पंचायत भूमि १५०७ है अर्थात् कुल वन भूमि ५५१७ है) निर्माण खण्ड, लोनिविभाग, रानीखेत के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी/ वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति तहसील डारादा की दिनांक १०/१२/१५ की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन प्रवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में श्री डॉ. पी. बालानेपेटी उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निमानुसार है :-

1. श्री डॉ. पी. बालानेपेटी उपजिलाधिकारी
2. श्री अरुण रमेश तोमा उप प्रभागीय वनाधिकारी
3. श्री अदिवाश चान्दु लोहाराम सहायक समाज कल्याणीय परिवर्तन केन्द्र वन प्रभाग वन प्रभाग वल्मीकी वी०डी०सी० केन्द्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में पंचायत करते हुवे उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड डारादा के अन्तर्गत १५०११-१२ मोटर मार्ग का (१.०० किमी) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव मात्र सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई भी मानता लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा रार्व सम्मति के आधार पर पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ३२३०१५ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुवे जानकारी से मात्र सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उप खण्ड डारादा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ५४१८ के अन्तर्गत १५०११-१२ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ५०५७ है वन भूमि निर्माण खण्ड, लोनिविभाग, रानीखेत को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उपजिलाधिकारी डारादा
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील- डारादा जिला अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी डारादा
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील- डारादा जिला अल्मोड़ा।

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम :-

वपेला नाई बोटर मार्ग का - विभागीय

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास खण्ड SKY 6 के अन्तर्गत
बोटर मार्ग का निर्माण 8.00 किमी⁰ परियोजना के निर्माण हेतु 5.417 है⁰ वन भूमि
निर्माण खण्ड, लोगनीविभाग, रानीखंत को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/ अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन
अधिनियम समिति SKY 6 तथा सम्बद्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन
अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जाजाति व
वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/ वनवासी के बनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

उपजिलाधिकारी
SKY 6

19.12.17
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा,

प्रष्ट्र-23.4

परियोजना का नाम :-

लोटेला नाड़ी गोटर मार्ग पर निर्माण

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित विकास खण्ड लावला के अंतर्गत वयला

नाड़ी गोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु ५.५१७ है। वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र 11-9/98 एफ०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सङ्क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केविल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेशों के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिला समाज कर्यालय अधिकारी
/ नोडल अधिकारी अल्मोड़ा।

19.12.16
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा,

FORM-1

**Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora**

No---

Dated-----


TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.417** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, Public Work Department, Ranikhet (Almora, Uttarakhand)** for **Construction of Bayela Nad Motar Road(8.00km)** in Almora district falls within jurisdiction of **Phaldwari** village(s) in **Dwarahat** tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.417** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
मरम्भाना,

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT: ALMORA (UTTARAKHAND)**


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S Deputy commissioner Almora on date 19.12.14. at time 3:15 P.M.. at Almora in which application claiming rights in Phaldwari, area measuring 4.417 hectares for the Construction of Bayela Nad Motar Road(8.00km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Dwarahat** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:Almora

Dated: 19.12.14.


19.12.14

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee 

